रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271719
CG-DL-E-10042026-271719

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 2026/चैत्र 19, 1948
No. 240]	NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2026/CHAITRA 19, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(नौवहन महानिदेशालय, मुंबई)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 260(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन महानिदेशालय, मुख्य पोत सर्वेक्षक-सह-संयुक्त महानिदेशक (तकनीकी), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2007 और पोत परिवहन मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय और वाणिज्यक समुद्री विभाग समूह 'क' (नौ-वास्तुविद-तकनीकी) पद भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए ,जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय और समुद्री वाणिज्य विभाग, में मुख्य पोत सर्वेक्षक-सह-संयुक्त महानिदेशक (तकनीकी), उप मुख्य पोत सर्वेक्षक-सह-वरिष्ठ उप महानिदेशक (तकनीकी), पोत सर्वेक्षक-सह-उप महानिदेशक (तकनीकी) और कनिष्ठ पोत सर्वेक्षक-सह-सहायक महानिदेशक (तकनीकी) के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय और समुद्री वाणिज्य विभाग, नौ-वास्तुविद (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2026 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना -** ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि -** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वें होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता: -** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह की संविदा की है या विवाह किया हो जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह की संविदा की हो या विवाह किया हो,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह की अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन यह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति -** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किन्ही उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. मुख्य पोत सर्वेक्षक-सह-संयुक्त महानिदेशक (तकनीकी)।	1* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 14 (144200-218200 रु.)।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) / प्रोन्नति ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संवदि सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी, (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर 13 - ए (131100-216600 रू.) या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर - 13 (123100-215900 रू.) या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नौवास्तुविद में स्नातक की डिग्री; (ii) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसायटी से विदेश जाने वाले पोत के पोत निर्माण या पोत-मरम्मत या सर्वेक्षण के क्षेत्र में सोलह वर्ष का कार्य अनुभव। **टिप्पणी 1:** वेतन मैट्रिक्स (123100-215900 रु.) के स्तर-13 में ऐसे विभागीय उप मुख्य पोत सर्वेक्षक-सह-ज्येष्ठ उप महानिदेशक (तकनीकी) जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, पर बाहरी व्यक्तियों सहित विचार किया जाता है। यदि विभागीय उम्मीदवार को पद पर नियुक्ति के लिए चयन किया जाता है, तो पद प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा। **टिप्पणी 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	5	6
2. उप मुख्य पोत सर्वेक्षक-सह-वरिष्ठ उप महानिदेशक (तकनीकी)	1* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है ।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 13 (123100-215900 रु.)।	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	100% प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति: ऐसे पोत सर्वेक्षक- सह- उप महानिदेशक (तकनीकी) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (78800 - 209200 रु.) में स्तर-12 के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और पोत निर्माण और पोत मरम्मत से संबंधित तीन सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पणी:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह जब तब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. सचिव या अपर सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय - सदस्य; 3. नौवहन महानिदेशक - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. पोत सर्वेक्षक-सह-उप महानिदेशक (तकनीकी)।	7* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 12 (78800-209200 रु)।	लागू नहीं होता ।	पचास वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(7)
अर्हताएं : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नौवास्तुविद में स्नातक की डिग्री; और (ii) पोत निर्माण या पोत मरम्मत यार्ड में डिजाइन या निर्माण या मरम्मत या सर्वेक्षण के क्षेत्र में आठ वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोग सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष। **टिप्पणी:** केंद्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा की सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश-पूर्व प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	(i) पचासी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; और (ii)पंद्रह प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) / प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी, (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर-11 (67700-208700 रु.) के वेतन मैट्रिक्स या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा प्रदान की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। **टिप्पणी 1:** वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रु.) में स्तर-11 में ऐसे विभागीय कनिष्ठ पोत सर्वेक्षक-सह-सहायक महानिदेशक (तकनीकी) जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा कि हो और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव के साथ बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाता है। यदि विभागीय उम्मीदवार का पद पर नियुक्ति के लिए चयन किया जाता है, तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा। टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. पोत परिवहन महानिदेशक - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, पोतपरिवहन प्रभारी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय - सदस्य; 3. अपर या संयुक्त महानिदेशक, नौवहन महानिदेशालय - सदस्य।	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. कनिष्ठ पोत सर्वेक्षक-सह- सहायक महानिदेशक (तकनीकी)।	1* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकेगा।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 11 (67700-208700 रु.)।	लागू नहीं होता ।	चालीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(7)
अर्हताएं: (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नौवास्तुविद में स्नातक की डिग्री; और (ii) पोत निर्माण या पोत मरम्मत यार्ड में डिजाइन या निर्माण या मरम्मत या सर्वेक्षण के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोग सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	एक वर्ष। टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा की सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश-पूर्व प्रशिक्षण होगा।	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.) या समतुल्य में नियमित रूप से पद पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो।

(11)
लागू नहीं होता।

(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. नौवहन महानिदेशक - अध्यक्ष; 2. अपर या संयुक्त महानिदेशक, नौवहन महानिदेशालय - सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव जो नौवहन महानिदेशालय के प्रशासन से संबंधित हैं - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. एसवाई-11016/14/2024-एमए-भाग(1) (377377)]

मुकेश मंगल, अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(Directorate General of Shipping, Mumbai)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2026.

G.S.R. 260(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Directorate General of Shipping, Chief Ship Surveyor-cum-Joint Director General (Technical), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2007; and the Ministry of Shipping, Directorate General of Shipping and Mercantile Marine Department Group 'A' (Technical-Naval Architecture) posts Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Chief Ship Surveyor-cum-Joint Director General (Technical), Deputy Chief Ship Surveyor-cum-Senior Deputy Director General (Technical), Ship Surveyor-cum-Deputy Director General (Technical) and Junior Ship Surveyor-cum-Assistant Director General (Technical) in the Directorate General of Shipping and Mercantile Marine Department, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Directorate General of Shipping and Mercantile Marine Department, Naval Architecture (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application. -** These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix. -** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification. -** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it

may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1. Chief Ship Surveyor-cum-Joint Director General (Technical).	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 14 in the pay matrix (Rs. 144200-218200).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract)/promotion.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Deputation (including short-term contract) / promotion: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-13A in the pay matrix (Rs.131100-216600) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Bachelor's degree in Naval Architecture from a recognised University or institute; (ii) sixteen years work experience in the field of shipbuilding or ship-repair or survey experience of foreign going ships from a classification society recognised by the Government of India. **Note 1 :** The departmental Deputy Chief Ship Surveyor-cum-Senior Deputy Director General (Technical) in level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900) with three years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2 :** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or

department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-eight years, as on the closing date or receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
2. Deputy Chief Ship Surveyor-cum-Senior Deputy Director General (Technical).	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Level - 13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900).	Selection.	Not applicable.

(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)
Promotion: From amongst Ship Surveyor-cum-Deputy Director General (Technical) in level-12 in the pay matrix (Rs.78800 - 209200) with five years regular service in the grade and have successfully completed three weeks mandatory training related to shipbuilding and ship repair. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	**(13)**
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairperson; 2. Secretary or Additional Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Member; 3. Director General of Shipping - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
3. Ship Surveyor-cum-Deputy Director General (Technical).	7* (2026) *Subject to variation dependent on	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Not applicable.	Not exceeding fifty years of age. (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions

	workload.				or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

(7)
Qualifications: (i) Bachelor's degree in Naval Architecture from a recognised University or institute; and (ii) eight years experience in the field of design or construction or repair or surveying in ship building or ship repairing yards. **Note 1 :** The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	One year for direct recruits. **Note :** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	(i) Eighty-five percent. by direct recruitment; and (ii) Fifteen percent. by deputation (including short-term contract)/promotion

(11)
Deputation (including short-term contract) / promotion: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1 :** The departmental Junior Ship Surveyor cum-Assistant Director General (Technical) in level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) with five years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2 :** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3 :** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	**(13)**
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director General of Shipping - Chairperson;	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

2. Joint Secretary, in-charge of Shipping, Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Member; 3. Additional or Joint Director General of the Directorate General of Shipping - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Junior Ship Surveyor-cum- Assistant Director General (Technical).	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non Ministerial.	Level – 11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Not applicable.	Not exceeding forty years of age. (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

(7)
Qualifications: (i) Bachelor's degree in Naval Architecture from a recognised University or institute; and (ii) three years experience in the field of design or construction or repair or surveying in ship building or ship repairing yards. **Note 1 :** The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	One year. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government, - (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for the direct recruits under column (7).

(11)
Not applicable.

(12)	**(13)**
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director General of Shipping - Chairperson; 2. Additional or Joint Director General of the Directorate General of Shipping - Member; 3. Director or Deputy Secretary dealing with Administration of the Directorate General of Shipping – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F. No SY-11016/14/2024-MA-Part(1) (377377)]

MUKESH MANGAL, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA